Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में तहसीलदार का रीडर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *04 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक (रीडर) तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में प्रवीण कुमार सैनी वरिष्ठ सहायक (रीडर) तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर द्वारा स्वयं एवं तहसीलदार रामगढ़ धमण्डीलाल के लिये 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अलवर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजयसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रवीण कुमार सैनी पुत्र श्री त्रिलोक चन्द सैनी निवासी सेढ़ मौहल्ला, रामगढ़ जिला अलवर हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर को परिवादी से **50 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार की भूमिका के संबंध में जाँच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

Scanned with CamScanner